राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
टेली फेक्स:– 0141–222240 ई–मेल :–dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:–WWW.lsg.urban.rajasthan.gov.in

F.55/CE/DLB/Road repair/Restoration Work/2017-18/34482-34531 Date:-04/5/2018

1. आयुक्त,
   नगर निगम (सम्बन्धित)
2. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
   नगर परिषद/पालिका (सम्बन्धित)

विषय : बजट घोषणा वर्ष 2017–18 के तहत नगरीय निकाय क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण/मरम्मत कार्य करवाने बाबत।

प्रसंग : विभाग का पूर्व समसंख्यक पत्रांक : 1194–1424 दिनांक 23.03.2018 एवं 26401–592 दिनांक 4.04.2018 के क्रम में।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 के बजट में की गई घोषणा की क्रियान्विति के क्रम में Rajsthan Urban Infrastructure Renewal Project (RUIRP) Phase-I के तहत राज्य के समस्त स्थानीय निकाय क्षेत्रों में सड़क निर्माण/सुधार (Road Restoration) कार्य करवाये जा रहे हैं। उक्त सड़क कार्यो के लिए स्वायत्त शासन विभाग को प्रशासनिक विभाग एवं रूडसिको को कार्यकारी एजेन्सी नियुक्त किया गया है। सड़क निर्माण व रिपेयर/पुनर्रूद्धार कार्य हेतु स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र सं. 2846–3076 दिनांक 13.10.2017 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। स्वायत्त शासन विभाग के परिपत्र क्रमांक 2846–3676 दिनांक 13.10.2017 एवं 3428 दिनांक 23.10.2017 के अनुसरण में रूडसिको द्वारा उक्त कार्यो की समस्त 191 नगर निकायों के लिये निविदा प्रक्रिया सम्बंधी कार्यवाही की गई, किन्तु दो बार निविदायें आमंत्रित करने के बावजूद भी निविदा प्राप्त नहीं होने के कारण विभाग के समसंख्यक आदेश सं. 1194–1424 दिनांक 23.03.2018 द्वारा कुल 45+8 स्थानीय निकायों को इस कार्य की अपने स्तर पर निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु निर्देशित दिये गये हैं।

विभाग द्वारा शेष 138 नगर निकायों में से 41 नगर निकायों की RUDSICO स्तर पर आमंत्रित निविदाओं में अधिक दरें/बिड़ नोन रेस्पोंसिव होने के कारण उक्त नगर निकायों की निविदा प्रक्रिया अपने स्तर पर सम्पादित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः निम्नलिखित 41 नगर निकायों द्वारा पुनः अपने स्तर पर निविदायें आमंत्रित करते हुये निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने की कार्यवाही अविलम्ब की जावे :–

क्र.स.	पैकेज न.	स्थानीय निकायों के नाम
1.	RUDSICO/RJ/120	नगर पालिका, संगरिया
2.	RUDSICO/RJ/133	नगर पालिका, गंगापुर (भीलवाड़ा)
3.	RUDSICO/RJ/136	नगर पालिका, खैरथल

Scanned by CamScanner

4.	RUDSICO/RJ/ 50	नगर पालिका, रावतसर
5.	RUDSICO/RJ/ 51	नगर पालिका, तख्तगढ़
6.	RUDSICO/RJ/ 89	नगर निगम, बीकानेर
7.	RUDSICO/RJ/ 109	नगर पालिका, नापासर
8.	RUDSICO/RJ/ 111	नगर पालिका, नोहर
9.	RUDSICO/RJ/ 113	नगर पालिका, पदमपुर
10.	RUDSICO/RJ/ 114	नगर पालिका, पीलीबंगा
11.	RUDSICO/RJ/ 119	नगर पालिका, सादुलशहर
12.	RUDSICO/RJ/ 124	नगर पालिका, श्रीकरणपुर
13.	RUDSICO/RJ/ 139	नगर पालिका, पिण्डवाडा
14.	RUDSICO/RJ/ 144	नगर पालिका, सुमेरपुर
15.	RUDSICO/RJ/ 10	नगर पालिका, नवलगढ़
16.	RUDSICO/RJ/12	विद्याधर जोन–I, नगर निगम जयपुर
17.	RUDSICO/RJ/42	नगर पालिका, सांगोद
18.	RUDSICO/RJ/55	नगर पालिका, भीनमाल
19.	RUDSICO/RJ/66	नगर पालिका, ईटावा
20.	RUDSICO/RJ/85	नगर पालिका, अन्ता
21.	RUDSICO/RJ/91	नगर पालिका, छबड़ा
22.	RUDSICO/RJ/97	नगर पालिका, गजसिंहपुर
23.	RUDSICO/RJ/99	नगर परिषद, हनुमानगढ़
24.	RUDSICO/RJ/104	नगर पालिका, केकड़ी
25.	RUDSICO/RJ/105	नगर पालिका, केसरीसिंहपुर
26.	RUDSICO/RJ/108	नगर पालिका, मांगरोल
27.	RUDSICO/RJ/116	नगर पालिका, रायसिंहनगर
28.	RUDSICO/RJ/132	नगर निगम, कोटा
29.	RUDSICO/RJ/150	नगर पालिका, रावतभाटा
30.	RUDSICO/RJ/154	नगर पालिका, सागवाड़ा
31.	RUDSICO/RJ/160	नगर परिषद, सूरजगढ़
32.	RUDSICO/RJ/84	नगर पालिका, अकलेरा
33.	RUDSICO/RJ/88	नगर पालिका, भवानीमंडी
34.	RUDSICO/RJ/2	नगर पालिका, सरवाड़
35.	RUDSICO/RJ/161	नगर पालिका, पिलानी
36.	RUDSICO/RJ/79	नगर पालिका, वैर
37.	RUDSICO/RJ/ 73	नगर पालिका, पीपाड़सिटी
38.	RUDSICO/RJ/31	नगर परिषद, सवाई माधोपुर
39.	RUDSICO/RJ/137	नगर पालिका, किशनगढ़बास
40.	RUDSICO/RJ/ 158	नगर पालिका, विद्याविहार
41.	RUDSICO/RJ/ 90	नगर परिषद, बून्दी

Scanned by CamScanner

इसके अतिरिक्त 8 नगर निकायों में, जिनमें से 6 स्थानीय निकायों (जैतारण, चिड़ावा, खेतड़ी, मण्ड़ावा, चौमूं एवं झुन्झुनू) के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण एवं 2 स्थानीय निकायों (बीदासर एवं बग्गड़) की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं होने के कारण RUDSICO द्वारा निविदा प्रक्रिया सम्पादित नहीं की गई है। अतः उक्त नगर निकायों द्वारा पुनः अपने स्तर पर निविदायें आमंत्रित करते हुये निविदा प्रक्रिया सम्पादित की जावे।

उक्त नगर निकाय सड़क निर्माण व रिपेयर/पुनरूद्धार कार्यो के सम्बन्ध में निम्न बिन्दुओ को ध्यान में रखते हुए अपने स्तर पर निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने की कार्यवाही करें :-

1. उपरोक्त कार्यो की अल्पकालीन निविदायें तुरन्त जारी करने हेतु रूडसिको द्वारा पूर्व में जारी की गई निविदा/बिड़ की प्रति प्राप्त कर एवं यथोचित संशोधित कर RTPP act 2012 एवं नियम, 2013 की पालना करते हुए ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया की जावे।
2. उपरोक्त कार्य स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृती आदेश सं. 20677 दिनांक 08.11.2017 एवं 28399–428 दिनांक 20.02.2018 एवं रूडसिको द्वारा जारी तकनीकी स्वीकृति आदेश सं. 2088 दिनांक 28.02.2018 में दिये गये दिशा निर्देशो के अनुसार ही कराये जावें।
3. जिन नगर निकायों में सड़क निर्माण/मरम्मत कार्यो के प्रस्ताव बिना सम्बन्धित विधायक की सहमति के RUDSICO को प्रेषित किये गये हैं, वहाँ सम्बन्धित जिला कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विधायक एवं नगर पालिका बोर्ड के पदाधिकारियों में समन्वय स्थापित करते हुये, पुनः सहमति प्राप्त कर प्रस्तावित कार्यो का अंतिम रूप से चयन करने के उपरान्त प्रस्ताव तैयार किये जावें।
4. प्रस्तावित कार्यो की सूची में आवश्यकता होने पर ही स्थानीय विधायक व पालिका बोर्ड के पदाधिकारियों की आपसी सहमति उपरान्त ही संशोधन किया जावे। नगर निकायों द्वारा सड़क निर्माण/मरम्मत/सुधार कार्यो के स्थानीय आवश्यकतानुसार एक से अधिक पैकेज किये जा सकते हैं।
5. उपरोक्त कार्यो की तकनीकी स्वीकृति सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता या RUDSICO स्तर पर गठित तकनीकी समिति/अभियन्ताओं से प्राप्त करने के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जावें।
6. उपरोक्त कार्यो के लिये Defect liability period 3 वर्ष रखा जावे।
7. उपरोक्त कार्यो की अल्पकालीन ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जावें एवं कार्यो की समय अवधि 4 माह रखी जाए। समस्त कार्य 30.09.2018 तक आवश्यक रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।
8. इन कार्यो की राशि राज्य सरकार/रूडसिको द्वारा नगर निकायों को RTGS के द्वारा हस्तांतरित की जावेगी। अतः समस्त नगर निकाय Dedicated बैंक खाता खुलवाना

Scanned by CamScanner

सुनिश्चित करें। उक्त राशि का उपयोग किसी अन्य कार्य/प्रयोजन हेतु नहीं किया जा सकेगा।

9. नगर निकायों में सड़क निर्माण व मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्यो के तकनीकी मापदण्डानुसार निरीक्षण करने हेतु स्थानीय निकाय द्वारा तृतीय पक्ष (Third Party) नियुक्त किया जावें।

10. सड़क निर्माण व मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्य से संबंन्धित सूचनाओं को ऑनलाईन करने के लिये स्थानीय निकाय द्वारा Webportal/App तैयार किया जावें। नगर निकायों द्वारा उक्त Webportal/App पर सड़क निर्माण/रिपेयर से संबंधित सूचनायें अपलोड़ की जावें। नई संड़क एवं रिकॉरपेटिंग सड़को की geo tagging की जावें।

11. निविदा सम्बंधी कार्यवाही के लिए निम्नानुसार तिथियॉ निर्धारित की जाती हैः–

क्र.स.	किया जाने वाला कार्य	दिनांक
1.	स्थानीय निकाय स्तर पर निविदा सूचना जारी करना	07.05.2018
2.	ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर निविदाये प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	17.05.2018
3.	भौतिक दस्तावेज प्राप्त करने की तिथिं एवं ई–प्रोक्योरमेंट पोर्टल प्राप्त तकनीकी बिड़ को खोलने की तिथि	18.05.2018 2:00 बजे एवं 18.05.2018 3:00 बजे
4.	प्राप्त तकनीकी बिड़ का मूल्यांकन करना	22.05.2018
5.	तकनीकी रूप से योग्य पाये गये बिड़र्स की वित्तीय बिड़ खोलना	24.05.2018
6.	यदि आवश्यक हो, तो प्राप्त दरों के सम्बन्ध में न्यूनतम निविदादाता से नेगोसियेशन करना	28.05.2018
7.	प्राप्त निविदाओं को स्वीकृत कर कार्यादेश जारी करना।	30.05.2018
8.	सड़क निर्माण एवं सुधार/मरम्मत/पेच रिपेयर/पुनर्रूद्धार (Renovation) कार्यो को पूर्ण करना	30.09.2018

उपरोक्त आदेशों की निरन्तरता में यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन नगर निकायों के वर्ष 2017–18 RUIRP Phase-I के सड़क निर्माण/पुनर्रूद्धार/मरम्मत कार्यो की RUDSICO स्तर पर निविदा प्रक्रिया सम्पादित नहीं हुई है एवं विभाग द्वारा सम्बन्धित नगर निकाय स्तर पर निविदा प्रक्रिया सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है, उन शेष नगर निकायों में निविदाओं की स्वीकृति/दरों के अनुमोदन एवं कार्यो की समीक्षा आदि कार्यवाही **निविदा अनुमोदन समिति** द्वारा तथा तकनीकी स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही RUDSICO स्तर पर गठित **तकनीकी समिति** द्वारा पूर्व आदेशों के अनुसार यथावत की जावेगी।

Scanned by CamScanner

मुख्यमंत्री बजट घोषणा वर्ष 2017–18 RUIRP Phase-I के अंतर्गत नगर निकायों में सड़क निर्माण/पुनर्रूद्धार/मरम्मत कार्यो के क्रियान्वयन की सतत मोनेटरिंग एवं सुपरविजन मुख्य अभियन्ता, RUDSICO द्वारा की जावेगी। मुख्य अभियन्ता, RUDSICO यह सुनिश्चित करें कि उक्त कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किये जावें।

यह आदेश समस्त नगरीय निकायों पर तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

F.55/CE/DLB/Road repair/Restoration Work/2017-18/34532-34732 Date:-04/5/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव महोदय, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राज. जयपुर।
7. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज. जयपुर।
9. निजी सचिव, समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव (जिला प्रभारी सचिव), शासन सचिवालय, जयपुर।
10. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका (सम्बन्धित), राजस्थान।
11. सम्भागीय आयुक्त (समस्त), राजस्थान।
12. जिला कलेक्टर्स (समस्त), राजस्थान।
13. कार्यकारी निदेशक, रूडसिको, लालकोठी स्कीम, जयपुर।
14. निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
15. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
16. संयुक्त शासन सचिव, (I,II & III), नगरीय विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
18. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर, जोधपुर, कोटा, बाकानेर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर।
19. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, समस्त नगर निगम (सम्भाग प्रभारी) राजस्थान।
20. अधिशाषी अभियन्ता, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद (जिला मुख्यालय), समस्त राजस्थान।
21. सुरक्षित पत्रावली।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

D:\Budget 2017-18\Order for Retendring for road restoration works.docx

Scanned by CamScanner